

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 42/2024

पीठासीन अधिकारी - कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पदमादेवी पत्नि जोगाराम जाति जाट निवासी साकरिया तला हाल खेमपुरा तहसील चौहटन		1 देवाराम 2. मदाराम पि. पदमाराम 3. हुकमाराम पुत्र मदाराम 4. पुरो पत्नि पुनमाराम 5. अचला 6. टीकमा पि. जोगाराम 7. रामाराम पुत्र पुनमाराम जातियान जाट निवासीगण खेमपुरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी बैंक शाखा सनावड़ा 9. शाखा प्रबन्धक आई डी बी आई बैंक शाखा बाड़मेर 10 तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण -

प्रार्थीगण वकील -

श्री फताराम गोदारा

विप्रार्थीगण वकील -

श्री ठाकराराम कड़वासरा

श्री जगदीश पोटलिया



निर्णय

दिनांक :- 15/04/25

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत ग्राम खेमपुरा पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ तहसील चौहटन में खसरा सं. 802/245 रकबा 2.8975 हैक्टर का आया हुआ है। वक्त सेटलमेन्टअ ग्राम बाछड़ाऊ तहसील चौहटन खसरा सं. 245 रकबा 517.15 बीघा का जो नगा पुत्र खेमा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ जिसमें से 1/2 हिस्सा भूमि रकबा 258.03 बीघा प्रार्थीना व विप्रार्थी सं. 1 से 7 के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसमें विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत मौजा खेमपुरा में खसरा संख्या 801/245, 803/245, 804/245, 796/245, 798/245, 901/245, 797/245 का आया हुआ है।


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीनी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 10.05.2007 को खातेदार आसुराम पुत्र गेनाराम से खरीद की गई थी। बैचान के दौरान बैचानकर्ता द्वारा दस्तावेज में उत्तर में वगता पुत्र परमान, दक्षिण में गै.मु. जोली की भूमि शेड़ा पर, पूर्व में हुकमा पुत्र मदा व पश्चिम में लीलसर की सरहद का शेड़ा लिखवाया गया तथा इसी अनुसार भौतिक रूप से कब्जा सौंपा गया। बैचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 05.07.2007 को पारित कर जमाबन्दी में सही अमल दरामद कर दिया गया तथा उसी अनुसार प्रार्थीनी का कब्जा काशत चला आ रहा था परन्तु अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीनी की रैकर्ड व कब्जा काशत से भिन्न जगह रैकर्ड में तरमीम कर दी गई। गलत तरमीम को भौतिक कब्जा काशत के अनुसार दुरुस्त करवाये जाने हेतु यह तरमीम दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1, 3 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम कड़वासरा व विप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री जगदीश पोटलिया द्वारा वकालतनामा पेश किया। तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन से की गई। तहसीलदार चौहटन के पत्र क्रमांक भूअ./2024/1110 दिनांक 10.06.2024 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 7 के वकील ने प्रार्थीनी के आवेदन का जवाब पेश नहीं कर तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट अनुसार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट में परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा खेमपुरा तहसील चौहटन में खसरा संख्या 802/245 रकबा 2.8975 हैक्टेयर व खसरा संख्या 801/245 रकबा 9.6396, खसरा संख्या 803/245 रकबा 3.8526 खसरा संख्या 804/245 रकबा 2.8975 खसरा संख्या 796/245 रकबा 9.6477 खसरा संख्या 798/245 रकबा 4.3129 खसरा संख्या


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन




901/245 रकबा 4.3220 खसरा संख्या 797/245 रकबा 4.3139 हैक्टर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

